



प्रेस नोट 01- दिनांक 31.01.2024
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।

- **तीन शातिर चोर गिरफ्तार, एक बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में**
- **चोरों के कब्जे से सोने व चांदी के जेवरात, एक लाइसेन्सी रिवाल्वर 32 बोर, 22 जिंदा कारतूस 32 बोर व 04 खोखा कारतूस 12 बोर व नकद रुपये हुए बरामद**
- **थाना कोतवाली सदर पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने किया चोरी की घटना का खुलासा**

कार्यवाही का विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.01.2024 को थाना कोतवाली सदर पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 53/24 धारा 457/380 भा0दं0वि0 का अनावरण करते हुए जद्दू के मुर्गी फार्म ग्राम बरवट से तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के सोने व चांदी के जेवरात, एक लाइसेन्सी रिवाल्वर 32 बोर व 22 जिंदा कारतूस 32 बोर व 04 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29.01.2024 को प्रार्थी बृजेश कुमार सिंह पुत्र श्री यदुनन्दन सिंह निवासी पूरन निगर निकट प्रइमरी स्कूल उन्नाव सदर कोतवाली जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर तहरीरी सूचना दी गई कि प्रार्थी की माताजी का देहान्त 21.01.2024 दिन रविवार को दोपहर करीब 12 बजे हो गया था, इसलिए प्रार्थी उसी दिन अपने परिवार के साथ अपने गांव जुनैदपुर पोस्ट अटवा थाना माखी जिला उन्नाव चला गया था। वहां उनके क्रिया क्रम में शामिल होकर वहीं पर रह रहा था। आज सुबह दिनांक 29.01.2024 को बच्चों के टेस्ट दिलाने के लिए लगभग 08.00 बजे अपने घर पूरन नगर पहुंचा तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा है व अन्दर जाकर देखा तो अलमारी व दरवाजे के ताले टूटे पड़े थे। देखने पर पता चला कि अलमारी रखे दो हार वजन लगभग 70 ग्राम 05 चैन सोने की वजन लगभग 75 ग्राम 05 अंगूठी जेन्ट्स वजन लगभग 25 ग्राम 06 अंगूठी लेडीज वजन लगभग 15 ग्राम एक मंगल सूत्र सोने का वजन लगभग 25 ग्राम, चांदी की

दो पेटी लगभग 1 किग्रा व 06 जोड़ी चांदी की पायल वजन लगभग 250 ग्राम, NP 32 बोर रिवाल्वर लाइसेन्सी, 30 कारतूस व 45000 रुपये चोरी हो गये हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 53/24 धारा 457/380 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 24/25.01.2024 की रात में करीब 1.30 बजे रात्रि में चोरी के इरादे से हम चारो लोग कब्बाखेडा स्थित वादी के मकान में ताला तोड़कर घुसे थे तथा वहां से एक अदद रिवाल्वर 32 बोर व 22 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व सोने चांदी के जेवरात व नगद रुपये चोरी किये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता --

1. लकी उर्फ इंजमान हुसैन पुत्र अनवर हुसैन उम्र करीब 22 वर्ष नि0 147/14 काशीराम कालोनी थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव ।
2. फैजान पुत्र रफीक उम्र करीब 20 वर्ष नि0 11/13 काशीराम कालोनी नि0 थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव हालपता दरोगाबाग थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव ।
3. आरिफ पुत्र सीबू उम्र करीब 19 वर्ष नि0 30/11 काशीराम कालोनी थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव ।
4. **एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**

आपराधिक इतिहास:- लकी उर्फ इंजमान

1. मु0अ0सं0 300/23 धारा 60 Ex Act थाना कोतवाली उन्नाव
2. मु0अ0सं0 770/17 धारा 60 Ex Act थाना गंगाघाट उन्नाव
3. मु0अ0सं0 119/19 धारा 379/411 भादवि थाना बीघापुर उन्नाव
4. मु0अ0सं0 73/21 धारा 294 भादवि थाना माखी उन्नाव
5. मु0अ0सं0 53/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव

आपराधिक इतिहास:- फैजान पुत्र रफीक

1. मु0अ0सं0 193/23 धारा 379/411/414 भादवि थाना सफीपुर उन्नाव
2. मु0अ0सं0 194/23 धारा 379/411/414 भादवि थाना सफीपुर उन्नाव
3. मु0अ0सं0 195/23 धारा 379/411/414 भादवि थाना सफीपुर उन्नाव

4. मु0अ0सं0 310/23 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना सफीपुर उन्नाव
5. मु0अ0सं0 53/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव

आपराधिक इतिहास:- बाल अपचारी

1. मु0अ0सं0 309/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव
2. मु0अ0सं0 1052/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव
3. मु0अ0सं0 53/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव

बरामदगी का विवरण-

01. एक अदद रिवाल्वर 32 बोर मय 22 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर ।
02. एक बेल्ट में 04 अदद खोखा कारतूस 12 बोर ।
03. एक अदद चेन सोने की ।
04. एक अदद अंगूठी सोने की
05. एक जोड़ी कान की बाला सोने का ।
06. एक अदद लाकेट सोने का ।
07. एक जोड़ी कान का टप्स सोने के ।
08. एक अदद गदा सोने का (लाकेट)
09. एक जोड़ी पायल चांदी की ।
10. एक अदद पायजेब चांदी की ।
11. एक अदद कमर पेटी चांदी की ।
12. 02 अदद कंगन चांदी के ।
13. 04 अदद पुराना सिक्का चांदी के ।
14. कुल 3270 रूपये नगद बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

01. निरीक्षक श्री राजेश यादव थाना कोतवाली सदर
02. उ0नि0 श्री अरुण कुमार सिंह थाना कोतवाली सदर
03. हे0का0 भालचन्द्र थाना कोतवाली सदर
04. हे0का0 प्रभाकर राय थाना कोतवाली सदर

05. हे0का0 संजीव यादव थाना कोतवाली सदर
06. का0 राजेश यादव थाना कोतवाली सदर

एसओजी टीम-

01. निरीक्षक श्री शरद कुमार प्रभारी एसओजी जनपद उन्नाव ।
02. हे0का0 आशीष मिश्रा एसओजी जनपद उन्नाव ।
03. हे0का0 सुनील कुमार एसओजी जनपद उन्नाव ।
04. हे0का0 सत्येन्द्र कुमार एसओजी जनपद उन्नाव ।
05. का0 गौरव कुमार एसओजी जनपद उन्नाव ।
06. का0 विकास सिंह एसओजी जनपद उन्नाव ।
07. का0 रवि कुमार एसओजी जनपद उन्नाव ।

सर्विलांस टीम-

01. का0 राधेश्याम सर्विलांस सेल जनपद उन्नाव ।





प्रेस नोट 02- दिनांक 31.01.2024
थाना बिहार, जनपद उन्नाव ।

• दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 19.12.2023 को थाना बिहार पर मु0अ0सं0 268/23 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना अपहृता की सकुशल बरामदगी करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भा0दं0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। आज दिनांक 31.01.2024 को उ0नि0 श्री विमलकान्त गोयल मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विजय कुमार कोरी पुत्र शीतला प्रसाद उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम वदनखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव को ग्राम कपूरपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता अभियुक्त - विजय कुमार कोरी पुत्र शीतला प्रसाद उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम वदनखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 विमलकान्त गोयल थाना बिहार उन्नाव ।
2. हे0कां0 धीरेन्द्र सिंह थाना बिहार उन्नाव ।
3. का0 शैलेश यादव थाना बिहार उन्नाव ।





प्रेस नोट 03- दिनांक 31.01.2024
जनपद उन्नाव ।

• दो वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस एवं थाना हसनगंज पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना बांगरमऊ- आज दिनांक 31.01.2024 को थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा केश नं0 698/98 अ0सं0 190/98 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव ता0 पेशी0 31.1.24 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0 01 उन्नाव से सम्बन्धित वारण्टी लालता लोध पुत्र श्यामलाल लोध निवासी ग्राम नयागांव मजरा अशायस थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 58 वर्ष को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया ।

थाना हसनगंज - आज दिनांक 31.01.2024 को थाना हसनगंज पुलिस द्वारा केश नं0 1561/16 धारा 3/25 आर्म एक्ट मा0 सिविल जज (सी0डी0) एफटीसी उन्नाव तारीख पेशी 01.02.24 से सम्बन्धित वारंटी अभि0 अफरोज अहदम पुत्र स्व0 सुलतान अहमद नि0ग्राम कर्बला कस्बा मोहान थाना हसनगंज उन्नाव को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।





प्रेस नोट 04- दिनांक 31.01.2024
थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव ।

• एक अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस व 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस व 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 31.01.2024 को उ०नि० श्री कल्लूराम यादव मय हमराह फोर्स द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान अभियुक्त राजेश उर्फ डिंगा पुत्र श्री केशन लोध उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम साल्हेनगर करौंदी थाना सफीपुर जनपद उन्नाव को कब्जे से एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक प्लास्टिक के झोले में 1 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद कर कुसैला मोड़ तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 19/2024 धारा 3/25 A Act व मु०अ०सं० 20/2024 धारा 18/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया ।

नाम पता अभियुक्त - राजेश उर्फ डिंगा पुत्र श्री केशन लोध उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम साल्हेनगर करौंदी थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण- एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक प्लास्टिक के झोले में 1 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज

आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 54/15 धारा 380/457/411 भादवि
- 2.मु0अ0सं0 90/15 धारा 380/411 भादवि
- 3.मु0अ0सं0 452/16 धारा 3/25 ए एक्ट
- 4.मु0अ0सं0 341/17 धारा 380/411 भादवि
- 5.मु0अ0सं0 396/17 धारा 3/25 ए एक्ट
- 6.मु0अ0सं0 226/18 धारा 457/380/411 भादवि
- 7.मु0अ0सं0 233/15 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट
- 8.मु0अ0सं0 376/19 धारा 41/411 भादवि
- 9.मु0अ0सं0 838/14 धारा 380/411 भादवि
- 10.मु0अ0सं0 248/19 धारा 379/411 भादवि थाना माखी
- 11.मु0अ0सं0 44/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना माखी
- 12.मु0अ0सं0 509/21 धारा 3/25 ए एक्ट
- 13.मु0अ0सं0 354/21 धारा 3/25 ए एक्ट
- 14.मु0अ0सं0 19/2024 धारा 3/25 ए एक्ट
- 15.मु0अ0सं0 20/2024 धारा 18/20 NDPS ACT

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- उ0नि0 कल्लूराम यादव
हे0का0 ईश्वरदयाल
का0 राजेन्द्र प्रसाद
का0 अरुण कुमार





प्रेस नोट 05- दिनांक 31.01.2024
थाना मांखी, जनपद उन्नाव ।

- हत्या के वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया तथा दो आरोपी बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांखी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त व एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया तथा दो बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29.01.2024 को थाना मांखी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मर्दनखेड़ा मजरा रूपऊ में सर्वेश पुत्र सुरेश उम्र करीब 28 वर्ष अपने परिवार के ही मन्नालाल पुत्र रामू व अमित ,सुमित पुत्रगण मन्नालाल के पास गया था, जहां दोनों पक्षों के मध्य विवाद एवं मारपीट हो गई। जिसमें सर्वेश पुत्र सुरेश उपरोक्त की गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। मृतक के पिता सुरेश पुत्र स्व० बाबूलाल की तहरीर पर मु०अ०सं० 26/24 धारा 302 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 31.01.2024 को थानाध्यक्ष श्री संदीप कुमार मिश्रा मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मन्नालाल पुत्र रामू उम्र करीब 45 वर्ष नि० ग्राम मर्दनखेड़ा मजरा रूपऊ थाना मांखी जनपद उन्नाव व अभियुक्ता सीमा पत्नी मन्नालाल उम्र करीब 40 वर्ष नि० ग्राम मर्दनखेड़ा मजरा रूपऊ थाना मांखी जनपद उन्नाव को कब्जे से आला कत्ल एक अदद लकड़ी का डण्डा बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा दो आरोपी बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

नाम पता अभियुक्तगण –

1. मन्नालाल पुत्र रामू उम्र करीब 45 वर्ष नि० ग्राम मर्दनखेड़ा मजरा रूपऊ थाना मांखी जनपद उन्नाव

2. सीमा पत्नी मन्नालाल उम्र करीब 40 वर्ष नि0 ग्राम मर्दनखेडा मजरा रूपऊ थाना माखी जनपद उन्नाव

3. दो बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में लिये गये।

बरामदगी का विवरण- एक अदद लकड़ी का डण्डा आला कल्ल

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार मिश्रा
2. हे0का0 विमल मिश्रा
3. का0 कपिल कुमार
4. का0 हरित डिल्लों
5. म0का0 नेहा शुक्ला
6. म0का0 खुशबू

